

विषय-सूची

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991

| धाराएँ | पृष्ठ क्र. |
|--|------------|
| 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ. | 1 |
| 2. परिभाषाएँ. | 1 |
| 3. मोटरयानों पर कर उद्ग्रहण. | 1 |
| 4. व्यापारी या विनिर्माता द्वारा देय कर. | 2 |
| 5. कर का संदाय. | 2 |
| 6. किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कर अधिरोपित किए जाने का वर्जन. | 3 |
| 7. स्थानीय प्राधिकरणों को अनुदान. | 3 |
| 8. घोषणा का फाइल किया जाना और देय कर का अवधारण. | 4 |
| 9. कराधान प्राधिकारी के समक्ष बीमा प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत किया जाना. | 4 |
| 10. कर के संदाय की रीति. | 4 |
| 11. कर के उद्ग्रहण से सामान्य छूट. | 5 |
| 12. टोकन प्रदान करना. | 5 |
| 13. कर का संदाय करने में असफल रहने के लिए शास्ति. | 5 |
| 14. कर की वापसी. | 6 |
| 15. कर, शास्ति की ब्याज सहित वसूली. | 7 |
| 16. कर का संदाय न किए जाने की स्थिति में प्रवेश करने, किसी मोटरयान का अभिग्रहण करने या उसे निरुद्ध करने की शक्ति. | 7 |
| 17. अपराध के दंड के लिए साधारण उपबंध. | 9 |
| 18. अधिकारी लोक सेवक होंगे. | 9 |
| 19. वाद या अन्य कार्यवाहियों का वर्जन. | 9 |
| 20. अपील. | 9 |
| 20-क. अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील. | 10 |
| 20-ख. अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध शेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण. | 10 |
| 20-ग. कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन. | 11 |
| 21. कर से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति. | 11 |
| 22. कर की मांग और वसूली के रजिस्टर का रखा जाना. | 11 |
| 23. अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति. | 11 |
| 24. नियम बनाने की शक्ति. | 12 |
| 25. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति. | 12 |
| 26. निरसन और व्यावृत्ति. | 12 |
| प्रथम अनुसूची. | 13-24 |
| द्वितीय अनुसूची. | 25-26 |
| तृतीय अनुसूची. | 27 |

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991

| नियम | पृष्ठ क्र. |
|---|------------|
| 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ | 27 |
| 2. परिभाषाएँ | 27 |
| 3. कराधान प्राधिकारी की अधिकारिता | 27 |
| 4. देय कर की प्रविष्टियाँ | 27 |
| 5. घोषणा का फाइल किया जाना | 28 |
| 6. मोटरयान परिवर्तित हो जाने पर घोषणा का फाइल किया जाना | 28 |
| 6क. देय कर का अवधारण | 29 |
| 7. कर आदि के संदाय की रीति | 29 |
| 8. अन्य राज्यों के मोटरयानों के संबंध में कर का संदाय करने की रीति | 30 |
| 8-क. बेड़ा स्वामी द्वारा घोषणा का फाइल किया जाना, कर का अवधारण और संदाय | 32 |
| 9. टोकन | 32 |
| 10. शास्ति आदि का अधिरोपण और संदाय | 33 |
| 11. मोटरयान का उपयोग न किए जाने की सूचना के लिए प्रक्रिया | 34 |
| 12. अनुज्ञापत्र का उपयोग न किए जाने की सूचना के लिए प्रक्रिया | 35 |
| 13. अकल्पित परिस्थितियों में मोटरयान के न चलाए जाने की सूचना देने के लिए प्रक्रिया आदि | 36 |
| 13-क. मार्ग के भाग पर अनुज्ञा पत्र आदि का उपयोग न किए जाने की सूचना देने के लिए प्रक्रिया | 38 |
| 14. वापसी के लिए प्रक्रिया | 39 |
| 15. कर आदि की वसूली | 41 |
| 16. प्रवेश और तलाशी के संबंध में प्रक्रिया | 42 |
| 17. कर का संदाय न किए जाने की दशा में मोटरयान के अभिग्रहण और निरोध के लिए प्रक्रिया | 42 |
| 18. अपील | 42 |
| 18-क. अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील | 44 |
| 19. पूर्णांकन करना | 44 |
| 20. मांग व वसूली का रजिस्टर | 44 |
| 21. अभिलेखों आदि का परिरक्षण और नष्टकरण | 44 |
| प्ररूप-क | 45 |
| प्ररूप-ख | 45 |
| प्ररूप-ख-1 | 47 |
| प्ररूप-ग | 49 |
| प्ररूप-घ | 50 |
| प्ररूप-ङ | 51 |
| प्ररूप ङ-1 | 52 |
| प्ररूप ङ-2 | 54 |
| प्ररूप-च | 55 |

| | |
|--|-------|
| प्ररूप-छ | 55 |
| प्ररूप-ज | 55 |
| प्ररूप ज-1 | 56 |
| प्ररूप ज-2 | 59 |
| प्ररूप ज-3 | 61 |
| प्ररूप-झ | 62 |
| प्ररूप-ञ | 63 |
| प्ररूप-ट | 63 |
| प्ररूप-“ट-1” | 65 |
| प्ररूप-ठ | 65 |
| प्ररूप-ड | 66 |
| प्ररूप-“ड-1” | 67 |
| प्ररूप-ढ | 67 |
| प्ररूप-ण | 68 |
| प्ररूप-“ण-1” | 69 |
| प्ररूप-त | 70 |
| प्ररूप-थ | 70 |
| प्ररूप-द | 71 |
| प्ररूप-ध | 72 |
| प्ररूप-न | 73 |
| प्ररूप-प-1 | 73 |
| प्ररूप-प-2 | 74 |
| प्ररूप-फ | 75 |
| प्ररूप-ब-1 | 75 |
| प्ररूप-ब-2 | 76 |
| प्ररूप-ब-3 | 81 |
| प्ररूप-ब-4 | 81 |
| प्ररूप-भ | 83 |
| मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ | 84-96 |
| मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ | 97 |



**नवीनतम संशोधनों एवं न्याय-दृष्टांतों
के पृष्ठ क्रमांक**

वर्ष 2010 के संशोधनों के लिये देखें :-

पेज नं. : 14, 15, 16 एवं 19.

वर्ष 2010 के न्याय-दृष्टांतों के लिये देखें :-

पेज नं. : 7, 35 एवं 37.

वर्ष 2009 के संशोधनों के लिये देखें :-

पेज नं. : 5, 6 एवं 25.

वर्ष 2009 के न्याय-दृष्टांतों के लिये देखें :-

पेज नं. : 7, 35 एवं 37.

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991

(क्र. 25 सन् 1991)

[दिनांक 21 सितम्बर, 1991 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 27 नवम्बर, 1991 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश राज्य में मोटरयानों पर कर उद्ग्रहण करने संबंधी विधि को समेकित और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ -- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 'मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991' है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ -- इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "कराधान प्राधिकारी" से अभिप्रेत है कोई अधिकारी जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा उस रूप में नियुक्त किया गया हो;

(ख) "स्वामी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसके नाम कोई मोटरयान, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और उसके अन्तर्गत है :-

(एक) कोई व्यक्ति, जो किसी मोटरयान का तत्समय कब्जा या नियंत्रण रखता है;

(दो) कोई व्यक्ति, जो ऐसे स्वामी के कारबार के प्रबंध के लिए उत्तरदायी है; और

(तीन) अनुज्ञा पत्र के अन्तर्गत आने वाले परिवहन यान की दशा में, अनुज्ञा पत्र का धारक या कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति, जिसने या जिन्होंने मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) के अधीन यान के कब्जे का और अनुज्ञा पत्र के लिए उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त कर लिया है;

(ग) "कर" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कोई कर;

(घ) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष, "छहमाही" से अभिप्रेत है वर्ष के प्रथम छह मास या द्वितीय छह मास और "तिमाही" से अभिप्रेत है छहमाही के प्रथम तीन मास या द्वितीय तीन मास;

(ङ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयोग हुई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं वही अर्थ होंगे जो उनके लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) में दिए गए हैं।

3. मोटरयानों पर कर का उद्ग्रहण -- (1) राज्य में उपयोग में लाए गए या राज्य में उपयोग के लिए रखे गए प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से किया जाएगा :

[परंतु प्रत्येक मोटरयान पर जीवन-काल-कर द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर उद्ग्रहीत किया जाएगा।]

परन्तु यह और भी कि किसी ऐसी मोटरयान के संबंध में, जो किसी विनिर्माता से व्यापारी को एक मास से अनधिक की कालावधि के लिए अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अधीन राज्य में होकर जा रही है, कर की दर किसी तिमाही के लिए देय कर की एक तिहाई होगी।

1. यह अधिनियम 1.1.1992 से प्रवृत्त हुआ। इस बाबत अधिसूचना क्रमांक एफ-8-2-90-आठ, दिनांक 28.12.1991 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 28.12.1991 को किया गया।

2. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 1 सन् 2005) द्वारा स्थापित।

(2) किसी परिवहन यान के बारे में, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र चालू है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह उपधारणा की जाएगी कि वह उपयोग में आ रहा है या उपयोग के लिए रखा गया है, भले ही ऐसे परिवहन यान के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण-पत्र का अवसान क्यों न हो गया हो।

टिप्पणी

धारा 3 के अधीन अधिरोपित कर -- विनियामक है -- यान जिनका उपयोग सड़क पर नहीं किया जाता -- रजिस्ट्रीकृत होने पर भी उन पर कर उद्ग्रहीत नहीं किया जा सकता। **हरदेव मोटर ट्रांसपोर्ट बनाम म.प्र. राज्य, 2007 (2) जे.एल.जे. 113 (उच्चतम न्यायालय) = (2006) 8 एस.सी.सी. 613 = ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 839 = 2007 ए.आई.आर. एस.सी. डब्ल्यू. 556।**

यदि कोई मोटर यान सड़क पर चलाये जाने योग्य है और सड़क पर चलाया जा सकता है -- कर अधिरोपित किया जा सकता है -- किंतु यदि कोई मोटरयान सड़क पर चलाये जाने योग्य नहीं है -- कोई कर उद्ग्रहणीय नहीं होगा। **हरदेव मोटर ट्रांसपोर्ट बनाम म.प्र. राज्य, 2007 (2) जे.एल.जे. 113 (उच्चतम न्यायालय) = (2006) 8 एस.सी.सी. 613 = ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 839 = 2007 ए.आई.आर. एस.सी. डब्ल्यू. 556।**

प्रथम अनुसूची के खंड (छ) तथा स्पष्टीकरण (7) के अधीन उपबंध -- असंवैधानिक है -- परमित-धारक के लिये यह नहीं कहा जा सकता कि वह परमितधारी नहीं है -- 1988 के अधिनियम की धारा 192क के अधीन उल्लंघन दंडनीय बनाया गया है। **हरदेव मोटर ट्रांसपोर्ट बनाम म.प्र. राज्य, 2007 (2) जे.एल.जे. 113 (उच्चतम न्यायालय) = (2006) 8 एस.सी.सी. 613 = ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 839 = 2007 ए.आई.आर. एस.सी. डब्ल्यू. 556।**

और देखें - **केन्टोनमेन्ट बोर्ड बनाम मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम, 1997 (2) एम.पी.जे.आर. 1 (सु.को.)। महाकौशल टूरिस्ट, नेपियर टाउन बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 2002 (4) एम.पी.एच.टी. 355 (सु.को.) = ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 3130।**

4. **व्यापारी या विनिर्माता द्वारा देय कर** -- मोटरयान के विनिर्माता या व्यापारी द्वारा ऐसे मोटरयानों के संबंध में, जो केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के अधीन मंजूर किए गए व्यापार प्रमाण-पत्र प्राधिकार के अधीन ऐसे विनिर्माता या व्यापारी के रूप में उसके कारबार के अनुक्रम में उसके कब्जे में हैं, कर का संदाय प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के बजाय तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वार्षिक दरों से किया जाएगा।

5. **कर का संदाय** -- (1) इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत कर का संदाय, मोटरयान के स्वामी द्वारा उसकी पसंद पर, या तो तिमाही, छहमाही या वार्षिक रूप में, यथास्थिति उस तिमाही, छहमाही या वर्ष के प्रारंभ होने से पंद्रह दिन के भीतर उसके द्वारा उस तिमाही, छहमाही या वर्ष के लिए, उसके द्वारा अभिप्राप्त किए जाने वाले टोकन पर अग्रिम में किया जाएगा। किसी छहमाही टोकन के लिए कर, तिमाही टोकन के लिए कर के दो गुने से और वार्षिक टोकन के लिए कर तिमाही टोकन के लिए कर के चार गुने से अधिक नहीं होगा :

परन्तु उपयोग में लाए गए या उपयोग के लिए रखे गए किसी मोटरयान के संबंध में किसी तिमाही के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली किसी कालावधि के लिए जो दो मास से अनधिक है, कालावधि के एक मास से अधिक होने या अधिक न होने के अनुसार, ऐसे तिमाही कर के दो तिहाई या एक तिहाई कर का संदाय किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर की दरों में जब कभी वृद्धि की जाती है और मोटरयान का स्वामी बढ़ी हुई दर पर कर का संदाय करने का दायी हो जाता है तो ऐसा स्वामी कर की रकम का अंतर, उस मोटरयान की बाबत पश्चात्पूर्वी कालावधि के लिए कर के संदाय के समय जमा करेगा :

¹[परन्तु यह भी कि किसी शहर मार्ग से भिन्न किसी मार्ग पर चलाई जाने वाली मंजिली गाड़ी या मोटर केब से भिन्न गाड़ी के संबंध में उद्ग्रहीत कर मोटरयान के जीवनकाल का संदाय यथास्थिति उस मास, तिमाही, छहमाही अथवा वर्ष के प्रारंभ में दस दिन के भीतर अग्रिम में मासिक, तिमाही, छहमाही या वार्षिक रूप में किया जाएगा।]

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक के अधीन उद्ग्रहीत कर मोटरयान के जीवनकाल के लिए होगा और स्वामी द्वारा इसका एक मुश्त अग्रिम में संदाय किया जाएगा :

परंतु-

(एक) धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट किसी मोटरयान के मध्यप्रदेश में रजिस्ट्रीकृत होने की दशा में, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व संदत्त कर की कुल रकम को द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट जीवन-काल कर की रकम में से घटा दिया जाएगा।

(दो) धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे यान की दशा में, जो किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत है और मध्यप्रदेश राज्य में लाया गया है, कर की वह रकम, जो उस यान के मूलतः मध्यप्रदेश में रजिस्ट्रीकृत होने या उपयोग में लाए जाने की दशा में जीवन-काल कर के संदाय की तारीख तक, प्रथम अनुसूची के अधीन संदत्त किया जाना होता, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट जीवन-काल कर की रकम में से घटा दी जाएगी ऐसे यान का स्वामी उस राज्य के कराधान प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया "कोई बकाया नहीं" (नो ड्यूज) प्रमाण-पत्र देगा :

परन्तु यह और भी कि धारा 5 की उपधारा (2) के प्रथम परंतुक के खण्ड (एक) या (दो) के अधीन घटाई जाने वाली अधिकतम रकम किसी भी दशा में द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट जीवन काल कर की रकम के 50% से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि यदि धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट मोटरयान की दशा में कर का संदाय इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व कर दिया गया है तो जीवन-काल-कर का उद्ग्रहण उस कालावधि के अवसान हो जाने के पश्चात् किया जाएगा, जिसके लिए इस प्रकार कर का संदाय किया गया था और ऐसे कर का संदाय उक्त कालावधि के अवसान होने की तारीख से एक मास के भीतर किया जाएगा।

6. किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कर अधिरोपित किए जाने का वर्जन -- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् किसी मोटरयान की बाबत ऐसा कोई कर, पथकर या अनुज्ञप्ति फीस अधिरोपित नहीं करेगा या उसमें वृद्धि नहीं करेगा और यदि किसी स्थानीय प्राधिकरण ने 1 अप्रैल, 1942 के पूर्व से ऐसा कोई कर, पथकर या अनुज्ञप्ति फीस अधिरोपित की है और वह इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय भी प्रवृत्त है तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में, जो ऐसा कर, पथकर या अनुज्ञप्ति फीस का संदाय ऐसे प्राधिकरण को करने के लिए दायी है, यह समझा जाएगा कि उसने उसका संदाय कर दिया है।

टिप्पणी

मोटरयानों पर प्रवेश कर -- ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित नहीं किया जा सकता। **एस.एन. सुदर्शन एण्ड कंपनी बनाम ग्राम पंचायत पोनिया, 1998 (1) म.प्र.वी.नो. 155 (म.प्र.)।**

और देखें - केन्टोनमेन्ट बोर्ड बनाम मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम, 1997 (2) एम.पी.जे.आर. 1 (सु.को.)।

7. स्थानीय प्राधिकरणों को अनुदान -- (1) राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक छावनी बोर्ड, नगरपालिका समिति तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति को, जो 1 अप्रैल, 1942 के मोटरयान के संबंध में कर, पथकर या अनुज्ञप्ति फीस का अधिरोपण करती थी, उतनी ही राशि का अनुदान देगी, जितनी राशि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व ऐसे बोर्ड, समिति को संदाय की जा रही थी :

1. म.प्र. मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्र. 26 सन् 1991) द्वारा (1-1-1992 से) अन्तःस्थापित।

परन्तु किसी छावनी बोर्ड को कोई राशि तब तक देय नहीं होगी जब तक कि वह छावनी बोर्ड मोटरयानों की बाबत कोई कर, पथकर या अनुशुक्ति फीस वसूल नहीं करने के लिए सहमत नहीं हो जाता।

(2) उपधारा (1) के अधीन देय कर की राशि राज्य के संचित निधि पर भारत होगी।

1[8. घोषणा का फाइल किया जाना और देय कर का अवधारण -- (1) प्रत्येक स्वामी, जो इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने का दायी है, कराधान प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, एक घोषणा फाइल करेगा जिसके साथ ऐसे कर, जिसका कि वह ऐसे यान की बाबत संदाय का दायी प्रतीत होता हो, का संदाय करने का सबूत होगा।

(2) जब कोई मोटरयान, जिसकी बाबत कर का संदाय कर दिया गया है ऐसी रीति में परिवर्तित किया जाता है कि जिससे वह यान एक ऐसा मोटरयान बन जाता है जिस पर कर की उच्चतर दर देय है तो ऐसे यान का स्वामी कराधान प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, एक अतिरिक्त घोषणा फाइल करेगा जिसके साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र होगा और ऐसे कर के अन्तर, जिसका कि वह ऐसे यान की बाबत संदाय का दायी प्रतीत होता हो, का संदाय करने का सबूत होगा।

(3) यथास्थिति उपधारा (1) के अधीन घोषणा या उपधारा (2) के अधीन अतिरिक्त घोषणा प्राप्त होने पर कराधान प्राधिकारी, ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे करने के पश्चात् और स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् एक लिखित आदेश द्वारा ऐसे स्वामी के द्वारा देय कर का अवधारण करेगा तथा उसे ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय के भीतर, जैसे कि विहित किया जाए, सूचना देगा।

(4) जहाँ स्वामी उपधारा (1) या (2) के अधीन घोषणा फाइल करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर और स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् एक लिखित आदेश द्वारा, ऐसे स्वामी द्वारा देय कर की रकम का स्वप्रेरणा से अवधारण कर सकेगा तथा उसे ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए, सूचना दे सकेगा।

(5) यथास्थिति, उपधारा (3) या (4) के अधीन कराधान प्राधिकारी द्वारा देय कर का अवधारण किए जाए पर यथास्थिति देय कर और संदत्त किए गए कर की रकम का अंतर इस अधिनियम तथा नियमों के अधीन संदाय करने या वापस करने के बारे में लागू रीति के अनुसार स्वामी द्वारा संदाय किया जाएगा अथवा उसे वापस किया जाएगा।

(6) जहाँ स्वामी कोई मिथ्या घोषणा फाइल करता है, वहाँ कराधान प्राधिकारी, स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी शास्ति अधिरोपित करेगा जो उपधारा (3) के अधीन अवधारित कर की रकम के दुगुने से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :- "मोटरयान में परिवर्तन" में सम्मिलित है, ऐसे किसी अनुज्ञा पत्र, जिसके अन्तर्गत यान है, का अर्जन, समर्पण या उपयोग न किया जाना या उसमें कोई परिवर्तन किया जाना।]

9. कराधान प्राधिकारी के समक्ष बीमा प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत किया जाना -- प्रत्येक स्वामी धारा 8 के अधीन घोषणा फाइल करते समय कराधान प्राधिकारी के समक्ष, मोटरयान के संबंध में एक विधिमान्य बीमा प्रमाण-पत्र पेश करेगा जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) के अध्याय 11 की अपेक्षाओं की पूर्ति करता हो।

10. कर के संदाय की रीति -- इस अधिनियम के अधीन शोध्य प्रत्येक राशि, यदि वह 250 रुपए से अधिक है, का संदाय, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का सं. 2) में यथा परिभाषित किसी अधिसूचित बैंक से अभिप्राप्त उतने मूल्य का मांगदेय ड्राफ्ट, जितने का संदाय अपेक्षित है, कराधान प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने अथवा ऐसी अन्य रीति में किया जाएगा जैसी कि विहित की जाए।

अतिरिक्त, प्रत्येक मास या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिए कर की असंदत रकम के 4 प्रतिशत की दर से शास्ति के लिए दायी होगा किंतु शास्ति कर की असंदत रकम के दुगने से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यदि इस अधिनियम के अधीन जीवन-काल कर का संदाय नहीं किया गया है तो स्वामी, शोष्य कर के संदाय के अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिए जीवन-काल-कर के एक-दशमांश की दर से, किन्तु धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक के अधीन देय जीवन-काल-कर से अनधिक, शास्ति के लिए दायी होगा।]

¹[(2) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 72, 74, 76, 79, 87 और 88(1), (9) तथा (11) के अधीन मध्यप्रदेश या किसी अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले मोटरयान, यदि अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से अन्यथा या बिना अनुज्ञापत्र के चलाए जाते हुए पाए जाएं तो ऐसे यान का स्वामी, कर के अतिरिक्त, प्रतिमास, शास्ति का दायी होगा, जो ऐसे यान के लिए इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में यक्षविनिर्दिष्ट मासिक, तिमाही या वार्षिक कर की रकम की दुगुनी होगी।]

टिप्पणी

इस धारा से संबंधित निर्णयज विधि के लिये देखें - अजय कुमार शर्मा बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 2005 (2) एम.पी.जे.आर. नोट 1।

14. कर की वापसी -- (1) जहाँ :-

(एक) किसी मोटरयान के लिए किसी ²[मासिक, तिमाही, छः माही या किसी वर्ष] की बाबत कर का संदाय कर दिया गया है और उस मोटरयान का, उस संपूर्ण मासिक, तिमाही, छः माही या वर्ष के दौरान या उसके ऐसे निरंतर भाग के दौरान जो एक मास से कम का न हो, उपयोग नहीं किया गया है और ऐसा उपयोग न किए जाने की विहित प्ररूप में सूचना कराधान प्राधिकारी को ऐसा उपयोग न किए जाने की कालावधि के प्रारंभ होने के पूर्व विहित रीति में दे दी गई हो; या

(दो) यान को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया गया हो कि जिससे स्वामी उस कर के जिसका कि पहले ही संदाय किया जा चुका है, किसी भाग की वापसी के लिए हकदार हो जाए वहाँ कर की वापसी,

ऐसी दरों पर तथा ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते हुए की जाएगी जैसी कि विहित की जाए :

³[परन्तु यदि राज्य सरकार विहित किए जाने वाले कारणों से किसी लोक सेवायान को जो नियमित अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आता है, मार्ग पर चलाया जाना संभव नहीं हो तो कर की वापसी एक मास से कम कालावधि के लिए ऐसी सीमा तक और ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर की जा सकेगी जैसा कि विहित किया जाए।]

(2) जहाँ धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक के अधीन जीवन-काल कर का संदाय उसमें विनिर्दिष्ट किसी यान के संबंध में किया जा चुका है, वहाँ स्वामी उस जीवन काल कर की वह रकम जो प्रथम अनुसूची के अधीन देय होती, घटाने के पश्चात् बचने वाली शेष रकम की वापसी का हकदार होगा, यदि वह कराधान प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि ऐसा मोटरयान :-

(क) स्थाई रूप से राज्य के बाहर हटा दिया गया है और उसे किसी अन्य राज्य के कराधान प्राधिकारी के अभिलेख पर ले आया गया है; या

(ख) नष्ट हो चुका है या उपयोग में लाए जाने के लिए स्थाई रूप से अयोग्य हो गया है और उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन रद्द कर दिया गया है और ऐसे मोटरयान का उपयोग राज्य में नहीं किया गया है; या

1. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 22 सन् 2009) द्वारा उपधारा (2) अन्तःस्थापित। म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 पृष्ठ 1263-1264 पर प्रकाशित।
2. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1993 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्र. 26 सन् 1991) द्वारा (1-1-1992 से) अन्तःस्थापित।